

परिशिष्ट 'ब'
 तारांकित प्रश्न क्रमांक-2091
 द्वारा-माननीय विधायक श्री प्रताप ग्रेवाल

शाना सरदारपुर जिला-धार के अपराध क. 520 / 2023 की जानकारी।

क्र.	अप.क. एवं धारा	कार्यमी दि०	फरियादी का नाम	किस-किस आरोपी द्वारा थाने पर लोडफोड एवं गाली-गलौच की गई	किस थाने के दल को क्षति पहुंचाई गई / थाने व दल का नाम		क्षतिग्रस्त की गई सामग्री का विवरण	प्रकरण में की गई कार्यवाही जानकारी	रिमाक
					थाने का नाम	दल का नाम			
1	520 / 2023 धारा 353, 294, 427, 34 भादवि	19.11.2023	आरक्षक 453 प्रीतमसिंह पिता रमेश चौहान जाति भीलाला उम्र 28 साल निवासी पुलिस थाना सरदारपुर मो.नं. 9111006397	(1) राजेन्द्र पिता तोलाराम गामड नि. गोलपुरा (2) भारत मखोड नि. भोपावर (3) दिलीप भील नि. कपारथल (4) योगेश खराडी निवासी बडवेली (5) बादल पिता दशरथ कटारा नि. मोरगांव (6) शंकर पिता कन्नीराम गामड नि. गोलपुरा (7) देवानंद पिता सुखराम खराडी नि. भोपावर (8) तोलाराम गामड नि. गोलपुरा (9) अर्जुन पिता तोलाराम गामड नि. गोलपुरा (10) अन्य दो महिलाएं	सरदारपुर	आरक्षक 453 प्रीतम सिंह पिता रमेश चौहान जाति भीलाला उम्र 28 साल निवासी पुलिस थाना सरदारपुर मो.नं. 9111006397	दो गमले थाना परिसर में रखे रेत व सिमेंट के बने हुये जिन्हे आरोपीगण द्वारा तोड़े गये है एक गमले की कीमत 250 रूपये दो गमले की कीमत 500 रूपये है एवं आरोपी अर्जुन द्वारा सैनिक रालेश यादव का एक मोबाईल फोन लोड दिया है।	प्रकरण में आरोपीगण की तलाश की जा रही है, किन्तु आरोपीगण घटना तलाश से फरार चल रहे हैं आरोपीगण की तलाश जारी होकर प्रकरण विवेचनाधीन है।	


 आरक्षक प्रदीप अरुण,
 (प्रतिबल) विभाग, दी (1)
 धार, जिला, चण्डेरा


 AIG of Police
 CTD, M.P., BHO PAL